कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा–माध्य / बजट / बी–2 / 25128 / 2017–18 दिनांक :– 31/01/2018

कार्यालय आदेश

यह ध्यान में आया है कि विभाग के कतिपय संस्था प्रधानों द्वारा लेखामदों 2202–02–109–07–01 (राज्य निधि / केन्द्रीय सहायता), 2202–02–109–07–02 (राज्य निधि / केन्द्रीय सहायता) एवं 2202–02–109–07–03 (राज्य निधि / केन्द्रीय सहायता) में IFMS पर पदों का आवंटन केन्द्रीय सहायता मद में होने के कारण विस्तृत मद 01–संवेतन में बिल का आहरण केवल केन्द्रीय सहायता (CA) मद में किया जा रहा है। इसी कारण राज्य निधि में विभाग द्वारा बजट आवंटन किये जाने पर पुनः समर्पित भी किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि संस्था प्रधानों की शाला दर्पण / अन्य माध्यमों द्वारा की गई मांग के क्रम में विभाग द्वारा जिस मद में बजट का आवंटन (राज्य निधि / केन्द्रीय सहायता) के अन्तर्गत किया जाता है, उसी मद से राशि का आहरण कर लिया जावे। उपर्युक्त मदों (2202–02–109–07–01, 2202–02–109–07–02 एवं 2202–02–109–07–03) में पदों का आवंटन IFMS पर CA के अंतर्गत किया हुआ है परन्तु 01–संवेतन विस्तृत मद हेतु राशि का आहरण उक्त मदों के SF/CA (दोनों अथवा दोनों में से किसी एक मद) से कर लिया जावे।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा–माध्य / बजट / बी–2 / 25128 / 2017–18 दिनांक :– 31/01/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय), ...
2. समस्त प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक, राउमावि / राबाउमावि / रामावि / राबामावि, ...
3. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com